(15)

परिषद के मुख्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में दिनांक 30 मार्च, 1977 को 11.30 बजे पूर्वान्ह में हुई उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की वर्ष 1977 की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे :-

1)	श्री पी०एन०सक्सेना		अध्यक्ष
2)	श्री पी०एन०खन्ना	आवास आयुक्त	सदस्य
3)	श्री सत्तार अहमद		सदस्य
4)	श्री अरविन्द वर्मा	विशेष सचिव, वित्त विभाग (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
5)	श्री जे०पी०दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
6)	श्री के०एन०द्विवेदी	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम	सदस्य

2- बैठक की कार्यवाही पर विचार विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

क्र०सं०	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
1)	परिषद की दिनांक 31 जनवरी, 1977 को हुई वर्ष 1977 की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	11/(1)/77	परिषद द्वारा सर्वसम्मति से दिनांक 31 जनवरी, 1977 को हुई वर्ष 1977 की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त के मद संख्या 28 के कार्यवृत्त को छोड़कर, पुष्टि की गयी। मद संख्या 28 के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में दिनांक 8 मार्च, 1977 के विशेष वित्त सचिव के पत्र पर विचार विमर्श के पश्चात् इस मद के कार्यवृत्त में निम्न प्रकार से सर्वसम्मति से संशोधन किया गया: " परिषद ने मकान किराया भत्ता विषयक परिषद द्वारा गठित उप समिति की रिपोर्ट का अनुमोदन करते हुये शासनादेश दिनांक 22 अप्रैल, 1976 के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आहरित मकान किराया भत्ते की वापिसी के प्रश्न पर विचार किया और इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आहरित किये गये भत्ते की वापसी बहुत कष्टप्रद होगी, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि शासन से अनुरोध किया जाय कि सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से उनके द्वारा आहरित किये गये मकान किराये भत्ते की वसूली न करायी जाय। वित्त विभाग के प्रतिनिधि ने अपने को परिषद के इस निर्णय से असम्बद्ध रखा।"
2)	परिषद की वर्ष 1977 की प्रथम बैठक दिनांक 31 जनवरी, 1977 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट।	11/(2)/77	परिषद ने वर्ष 1977 की पहली बैठक दिनांक 31 जनवरी, 1977 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा यह निदेश दिया कि भविष्य में अनुपालन रिपोर्ट में की गयी या की जाने वाली कार्यवाही का पूर्ण विवरण दिया जाना चाहिए। साथ ही यह भी निदेश दिया कि पिछली बैठक के मद संख्या 7

कृ०पृ०उ०

1	2	3	4
			में जो निर्णय लिया गया था उसके अनुसार कार्य-कलापों का विवरण अगली बैठक से बराबर दिया जाया करे।
3)	परिषद के वित्तीय वर्ष 1976-77 के पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 1977-78 के आय-व्ययक में सम्मिलित अधिष्ठान एवं योजनाओं के ब्योरेवार अनुमान।	11/(3)/77	परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 1976-77 के पुनरीक्षित अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 1977-78 के आय-व्ययक में सम्मिलित अधिष्ठान एवं योजनाओं के ब्योरेवार अनुमान पर विचार किया गया। 1976-77 के ओपनिंग बैलेन्सेज में पायी गयी असंगतियां जिन पर विचार हुआ जिनके सम्बन्ध में यह बताया गया कि यह असंगतियां इस कारण हैं कि इनमें 31 मार्च तक के आय तथा व्यय के केवल तखमीने ही थे। विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 31 मार्च, 1977 तक के वास्तविक आय-व्यय के आधार पर ओपनिंग तथा क्लोजिंग बैलेंसेज के आंकड़ों को संशोधित करके परिषद के समक्ष अप्रैल, 1977 में निर्णयार्थ रखे जायं और तब बजट पर पुनः विचार किया जायगा। साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया कि इस बात पर विचार करके परिषद के समक्ष एक टिप्पणी भी रखी जाय कि क्या प्रत्येक वर्ष बजट उस वर्ष के पूर्व ही परिषद के समक्ष रखा जाना चाहिए अथवा मार्च के पश्चात् भी परिषद के समक्ष रखा जा सकता है।
4)	परिषद की सम्पत्तियों के प्रबन्ध हेतु स्टेट मैनेजर्स की व्यवस्था।	11/(4)/77	परिषद की सम्पत्तियों के प्रबन्ध हेतु 'स्टेट मैनेजर्स' तथा उनके स्टाफ की व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस योजना को एक वर्ष के लिये ट्रायल बेसेज पर स्वीकार कर लिया जाय और एक वर्ष के पश्चात् इस पर पुनः विचार हेतु परिषद के समक्ष इसे रखा जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि क्लर्क-कम-टाइपिस्ट के वेतन-क्रम का संशोधित वेतन क्रम रुपया 230-385 कर लिया जाय।
5)	अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय	11/(5)/77	अध्यक्ष की अनुमति से 'सीड कैपिटल' के रूप में परिषद को उत्तर प्रदेश शासन से रुपया 2.30 करोड़ के ऋण की प्राप्ति के सम्बन्ध में टिप्पणी परिषद के समक्ष रखी गयी। विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। परिषद के समक्ष आवास शाखे के सम्बन्ध में विशेष वित्त सचिव के अ०शा० पत्र संख्या ई०टि०-746/दस-5/8/77 दिनांक 8 मार्च, 1977, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के अ०शा०पत्र संख्या 2124/कैम्प/आ०वि०प०/सी०टी०पी०/76, दिनांक 11-3-1977 तथा उप सचिव, उ०प्र० शासन के अ०शा० निवास अनुभाग प०सं० 1379/37-2-1 एच०बी०/77 दिनांक 25-3-1977 विचारार्थ रखे गये।

कृ०प०उ०

1	2	3	4
			सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि परिषद के जो अधिकारी/कर्मचारी अपने स्वयं के भवन में रह रहे हैं उन्हें मार्च, 1977 का आवास भत्ता अप्रैल, 1977 में दे दिया जाय किन्तु अप्रैल, 1977 से यह भत्ता जो माह मई, 1977 में देय होगा, उन्हें परिषद द्वारा आवश्यक निर्णय लिये जाने तक न दिया जाय और परिषद के समक्ष एक विस्तृत टिप्पणी इस सम्बन्ध में परिषद के विचारार्थ तथा निर्णयार्थ रखी जाय।